SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
1	lalit.kohli99@gmail.com	Lalit Mohan	Applied for BRP social science, CRP on pryag portell i also updated my b.ed TET marks but my name and marks are not available in marit result list please check. Unique job seeker number 163132072601	Not qualified for merit, SN 5429 in CRP List.
2	kakkirathour@gmail.com	Kaki Kaur	I had filled the form for BRP Science and CRP from Prayag Portal. But my name is not in the list which has been uploaded on the portal now. Please share with me the information as to why my name is not in the list.	Since the number not provided, her name is not shown in the list.
3	rinkuchaudhary44@gmail.com	रिंकी चौधरी	मेरे द्वारा बी० आर ० पी ० व सी० आर ० पी ० दोनों पदों के लिए आवेदन किया गया था और अवदान के समय किन्ही कारणों से त्रुटिवश मेरी जन्म तिथि 02 /10 /1997 के स्थान पर 10 /02 /1997 गलत अंकित हो गई है । वर्तमान में चयनित मेरिट सूची के अंतर्गत मेरा नाम बी० आर ० पी ० (विज्ञानं वर्ग) में 38 वे नंबर पर तथा सी० आर ० पी ० में 208 वे नंबर पर अंकित हे अतः महोदय से निवेदन है की उक्त में संसोधन करने की कृपा कीजिये।	Since the number not provided, her name is not shown in the list.
4	anchaleybercafe@gmail.com	Pramod Sharma	समय पे सुचना उपलब्ध न हो पाने के करण मै BED के प्रेक्टिकल तथा थ्योरी का प्रतिशत अलग कर समलित नहीं कर पाया, महोदय मै BED की अंकतालिका attach कर भेज रहा हू जिसमे प्रेक्टिकल या थ्योरी का प्रतिशत मेरे रोजगार प्रयाग पोर्टल में चडाने की कृपा करें	Not Considered
5	subhashchandra1519997@gmail.com	Subhash Chandr	एक ही अभ्यर्थी का नाम दो दो जगह आया है जबकि वह नियुक्ति एक ही जगह लेगा जिससे अन्य अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग आनी चाहिए । और महोदय जिओ में भर्ती में जिलेवार करवाने की बात की थी लेकिन उस आधार पर भी चयन नहीं हुआ है अंत महोदय से निवेदन है की चयन सूची को पारदर्शिता के साथ संशोधित करके दोबारा निकाले....	Partially Considered
6	dikshub97@gmail.com	DIKSHA BHAINSORA	Unique id no 163132057106 has filled for BRP CPR English and I have filled my category EWS Women Category but some how it is showing General women . I beg to you please update my category to EWS women I have attached EWS certificate. My EWS certificate dated is 22 Apr 2024 and Forms were filled on July 2024. So if you considered it and write to prayag portal for updation	Not applied for EWS Category, that's why not selected in merit list
7	raishahamad610@gmail.com	Raish Ahamad	(1) आपने द्वारा प्रकाशित BRP, CRP के विज्ञापन में कंप्यूटर की अनिवार्यता थी किन्तु मेरिट में कंप्यूटर का कोई अंक नहीं दर्शाया गया। अतः कंप्यूटर के अंकों को सम्मिलित करने का कष्ट करें। (2) एक वर्ष का एक अंक भारांक के रूप में प्रदान किया जाता है इस प्रकार मैंने सक्षम अधिकारी द्वारा 14 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया हुआ है अतः मुझे अधिकतम 14 अंक भारांक में प्रदान किये जाने न्यायोचित हैं।	Not Considered
8	manojkumar160592@gmail.com	Manoj Kumar	(1) आपने द्वारा प्रकाशित BRP, CRP के विज्ञापन में कंप्यूटर की अनिवार्यता थी किन्तु मेरिट में कंप्यूटर का कोई अंक नहीं दर्शाया गया। अतः कंप्यूटर के अंकों को सम्मिलित करने का कष्ट करें। (2) एक वर्ष का एक अंक भारांक के रूप में प्रदान किया जाता है इस प्रकार मैंने सक्षम अधिकारी द्वारा 14 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया हुआ है अतः मुझे अधिकतम 14 अंक भारांक में प्रदान किये जाने न्यायोचित हैं।	Not Considered

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
9	ramasaini2098@gmail.com	Rama Saini D/O Jaswant singh	mera name brp science list m nhi h jabki mne form bhra tha meri total 98.71 tha	Not Considered/Not Applied.
10	sanaparveen7055@gmail.com	Sana Parveen	In the present my Final percentage of Master of English is 69.35 instead of 69.50. So please correct my percentage in my BRP (English) Application form	Not Considered, referred to Prayag Portal.
11	u9p4e1n1@gmail.com	Upendra Singh	sar humne CRP ka form bhara tha aur hamare category guumal dikha raha hai jo glt hai . Hamare category OBC hai Sahi karne ka prayas Kare sir	Not Considered.
12	rajeshsemwal34@gmail.com	rajesh semwal	BRP English विषय की मेरिट लिस्ट में आप देखिए क्रमांक नंबर 126 में हाई स्कूल वाले कॉलम में इस कैंडिडेट को जीरो प्वाइंट मिले हुए हैं अब जीरो पॉइंट कैसे मिल सकते हैं क्या वह फेल हो रखा है अब यदि वह हाई स्कूल में फेल है तो उसने आगे की पढ़ाई कैसे की	Refered to Rojgar Prayag Portal.
13	deeptithapa352@gmail.com	दीप्ति थापा	रोजगार प्रयाग पोर्टल द्वारा, मेरिट सूची जारी की गई थी उसमें मेरा नाम नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें।	Not considered.
14	brjeshkumar2429@gmail.com	श्वेता पुत्री शिव कुमार	मैं CRP के फॉर्म को अपडेट कर रही थी जिसमे मेरे 10th कक्षा के प्रतिशत missing show हो रहे थे, जैसे ही मैं प्रतिशत अपडेट कर रही थी, मेरे से प्रतिशत की जगह CGPA में अंक भरे गए। और अब edit का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है।	Not Considered
15	kamleshsharmafom@gmail.com	Kamlesh	यदि विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षित पदों को ना घटाया जाता तो मेरा चयन होना निश्चित था क्योंकि बीआरपी हिंदी में अनुसूचित जनजाति की पूर्व मे दो सीटें थी लेकिन बाद में एक सीट घटा दी गई अगर पूर्व आधारित दो सीटे होती तो ST में प्रथम अभ्यर्थी जगमोहन गुणांक 88.67 (बीआरपी हिंदी परिणाम सूची क्र.सं.40) वहीं मेरा ST में द्वितीय स्थान - कमलेश गुणांक 86.50 (बीआरपी हिंदी प्रतीक्षा सूची क्रम संख्या- 119) था इस तरह बीआरपी में अगल अलग विषयोंकी आरक्षांतकी कुल 11 सीटे घटाकर सामान्य वर्ग में जोड़ी गई है वहीं सीआरपी में भी आरक्षण की 9 सीटे घटाई गई है तो बीआरपी सीआरपी में आरक्षित कुल 20 सीटों को घटाया गया है जो आरक्षित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है ।	Clarification issued. Please visit the website of **ssa.uk.gov.in**
16	bishte6@gmail.com	Km Ekta	Sir jinka certificate no glt ho rkhe form m kya affidavit ka use kr skte h during dv ... Ya kch aurr Krna h	Not Considered.
17	sushilchauhan62@gmail.com	Sushil chauhan	उक्त परिणाम में यह देखा गया है कि वर्षवार परीक्षा वाले पुराने बच्चों का न के बराबर चयन हुआ है वहीं जबकी सेमेस्टर वाले बच्चों का बहुतायत में चयन हुआ है वर्षवार परीक्षा पहले के बच्चों का प्रथम स्थान प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल होता था अब के बच्चों को हर विषय में प्रेक्टिकल जोडकर अंक बढाने में मदद की जाती है इस परिणाम में पुराने वर्षवार वाले बच्चों को कम से कम 10 अंक तक का लाभ देकर सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों और वर्षवार वाले बच्चों का समान रूप से चयन किया जाये 2.उक्त परिणाम से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर तथा परिणाम के समय जारी रोस्टर में बिना किसी सूचना के बहुत बदलाव किए गए है। विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर में बीआरपी के अलग- अलग विषयों में 11आरक्षित पदों को घटाकर तथा सीआरपी में 9 आरक्षित (यानि कुल 20) पदों को घटाकर सामान्य श्रेणी में जोड़े गए है ये आरक्षित अभ्यर्थियों के अन्यायपूर्ण है। (उक्त आरक्षण रोस्टर की विस्तृत सारणी सहित बिंदुओं को pdf में संलग्न किया जा रहा है) 3..परिणाम में कई अभ्यर्थियों के नाम दोहराए गए हैं, जैसे Ruchi Chauhan का नाम BRP (SCIENCE) सूची में क्रम संख्या 14 और 15 दोनों पर है, जो त्रुटिपूर्ण है। 4..परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दो-दो उपश्रेणियों में दर्शाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एक ही उपश्रेणी का दावा किया जा सकता है। जैसे- क्र.सं. 572 – Sheetal Pundir (Handicapped व Freedom Fighter) क्र.सं. 577 – Beena Karki (Handicapped व Freedom Fighter) 5.चयन अंतिम सूची शीर्ष वरीयता गुणांक अनुसार आनी थी, लेकिन कई स्थानों पर क्रम असंगत व भ्रमित करने वाला है। उदाहरणतः —□Babita Rawat (क्रमांक 571, CRP–ST) का स्कोर 87.25 है अनुसूचित महिला की मैरिट यहीं रुकी है लेकिन आश्चर्य है कि Deepti Rana (क्रमांक 603, ST) का स्कोर 96.72 है, फिर भी उन्हें सबसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है। □Ankit Singh (क्रमांक 434, CRP–OBC) का स्कोर 94.87 है, जबकि Abhilash Singh Rawat (क्रमांक 595) और Saurabh Singh Ranghar (क्रमांक 598) के स्कोर क्रमशः 98.33 और 98.19 हैं, फिर भी उन्हें नीचे रखा गया है। 6.सीआरपी परिणाम क्रमांक 592 पर दर्शाए गए अभ्यर्थी Suresh Chandra Bijalwan (Ex-Serviceman, OBC) के 10वीं एवं 12वीं के गुणांक में "0.00" अंकित हैं उनका गुणांक 63.45 है यह भी एक प्रश्नचिह्न है क्या उक्त अभ्यर्थी को 10 वीं व 12 वीं में कोई गुणांक नहीं मिला। महोदय उक्त विभिन्न त्रुटियां और असंगतियां तथा अंतिम परिणाम के समय बिना नोटिस के आरक्षण बदलना एक स्पष्ट लापरवाही है, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है इन गलतियों के कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित हुए है अतः आपसे विनम्र निवेदन है उक्त त्रुटियों को सुधारकर तथा विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पुनः संशोधित परिणाम जारी किया जाए तथा साथ में दोगुना अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी निकाली जाए।	01. Not Considered. 02. Clarification issued. Please visit the website of ssa.uk.gov.in 03. The matter will be considred in waiting list. 04. The candidature of candidate is considered in a single Sub-Category. 05. Issue identified & revised list will be published on portal. 06. Not Considered.

Seen

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
18	santoshirawatrawat1998@gmail.com	Santoshi Rawat	उक्त परिणाम से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर तथा परिणाम के समय जारी रोस्टर में बिना किसी सूचना के बहुत बदलाव किए गए है। विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर में बीआरपी के अलग- अलग व	Clarification issued. Please visit the website of ssa.uk.gov.in
19	rohithapliyal.0415@gmail.com	Rohit Thapliyal	1.उक्त परिणाम में यह देखा गया है कि वर्षवार परीक्षा वाले पुराने बच्चों का न के बराबर चयन हुआ है वहीं जबकी सेमेस्टर वाले बच्चों का बहुतायत में चयन हुआ है वर्षवार परीक्षा पहले के बच्चों का प्रथम	Not Considered.
20	rana.nitti92@gmail.com	नितिन राणा	उक्त परिणाम में यह देखा गया है कि वर्षवार परीक्षा वाले पुराने बच्चों का न के बराबर चयन हुआ है वहीं जबकी सेमेस्टर वाले बच्चों का बहुतायत में चयन हुआ है वर्षवार परीक्षा पहले के बच्चों का प्रथम स्थान प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल होता था अब के बच्चों को हर विषय में प्रेक्टिकल जोडकर अंक बढाने में मदद की जाती है इस परिणाम में पुराने वर्षवार वाले बच्चों को कम से कम 10 अंक तक का लाभ देकर सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों और वर्षवार वाले बच्चों का समान रूप से चयन किया जाये 2.उक्त परिणाम से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर तथा परिणाम के समय जारी रोस्टर में बिना किसी सूचना के बहुत बदलाव किए गए है। विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर में बीआरपी के अलग- अलग विषयों में 11आरक्षित पदों को घटाकर तथा सीआरपी में 9 आरक्षित (यानि कुल 20) पदों को घटाकर सामान्य श्रेणी में जोड़े गए है ये आरक्षित अभ्यर्थियों के अन्यायपूर्ण है। (उक्त आरक्षण रोस्टर की विस्तृत सारणी सहित बिंदुओं को pdf में संलग्न किया जा रहा है) 3..परिणाम में कई अभ्यर्थियों के नाम दोहराए गए हैं, जैसे Ruchi Chauhan का नाम BRP (SCIENCE) सूची में क्रम संख्या 14 और 15 दोनों पर है, जो त्रुटिपूर्ण है। 4..परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दो-दो उपश्रेणियों में दर्शाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एक ही उपश्रेणी का दावा किया जा सकता है। जैसे– क्र.सं. 572 – Sheetal Pundir (Handicapped व Freedom Fighter) क्र.सं. 577 – Beena Karki (Handicapped व Freedom Fighter) 5.चयन अंतिम सूची शीर्ष वरीयता गुणांक अनुसार आनी थी, लेकिन कई स्थानों पर क्रम असंगत व भ्रमित करने वाला है। उदाहरणतः —□Babita Rawat (क्रमांक 571, CRP–ST) का स्कोर 87.25 है अनुसूचित महिला की मैरिट यहीं रुकी है लेकिन आश्चर्य है कि Deepti Rana (क्रमांक 603, ST) का स्कोर 96.72 है, फिर भी उन्हें सबसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है। □Ankit Singh (क्रमांक 434, CRP–OBC) का स्कोर 94.87 है, जबकि Abhilash Singh Rawat (क्रमांक 595) और Saurabh Singh Ranghar (क्रमांक 598) के स्कोर क्रमशः 98.33 और 98.19 हैं, फिर भी उन्हें नीचे रखा गया है। 6.सीआरपी परिणाम क्रमांक 592 पर दर्शाए गए अभ्यर्थी Suresh Chandra Bijalwan (Ex-Serviceman, OBC) के 10वीं एवं 12वीं के गुणांक में "0.00" अंकित है उनका गुणांक 63.45 है यह भी एक प्रश्नचिह्न है क्या उक्त अभ्यर्थी को 10 वीं व 12 वीं में कोई गुणांक नहीं मिला। महोदय उक्त विभिन्न त्रुटियां और असंगतियां तथा अंतिम परिणाम के समय बिना नोटिस के आरक्षण बदलना एक स्पष्ट लापरवाही है, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है इन गलतियों के कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित हुए है अतः आपसे विनम्र निवेदन है उक्त त्रुटियों को सुधारकर तथा विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पुनः संशोधित परिणाम जारी किया जाए तथा साथ में दोगुना अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी निकाली जाए।	01. Not Considered. 02. Clarification issued. Please visit the website of ssa.uk.gov.in 03. The matter will be considred in waiting list. 04. The candidature of candidate is considered in a single Sub-Category. 05. Issue identified & revised list will be published on portal. 06. Not Considered.
21	swikrtinegi@gmail.com	Swikrti Negi	मैंने brp crp दोनो फॉर्म भरे थे लेकिन जो लिस्ट स्कोर कार्ड वाली कल निकली है उसमें मेरा crp में नाम ,टोटल स्कोर दिख रहा है लेकिन brp में मेरा नाम नहीं दिख रहा है	Not Considered.
22	amtkmr49@gmail.com	AMIT KUMAR	बीआरपी सीआरपी में मेरे नंबर ज्यादा है और मेरे से कम वालों का सिलेक्शन हो रहा है कृपया करके मुझे लिस्ट में लेने की कृपा करें	Not Considered.
23	kaprigokul75@gmail.com	मीनाक्षी भट्ट	प्रार्थिनी ने सीआरपी हेतु प्रयाग पोर्टल पर आवेदन किया था परंतु किसी कारणवश प्रार्थिनी के बीएड के अंक अपडेट नहीं हो सके। और न ही प्रयाग पोर्टल द्वारा मुझे सूचित किया गया कि अंक अपडेट नहीं हुए हैं। अस्तु महोदय से विनम्र निवेदन है की प्रार्थिनी के इस अंतिम प्रयास (क्योंकि मेरी जन्मतिथि 29/09/1983 है) को सफल बनाने हेतु अपेक्षित सहायता प्रदान करने की कृपा करें।	Not Considered.

Seen

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
24	nautiyalm032@gmail.com	मनीष नौटियाल	बीआरपी सीआरपी भर्ती का परिणाम 02 जुलाई 2025 को जारी किया हुआ था जिसमें बहुतायत में त्रुटियां पाया गई है जो निम्न है- 1.उक्त परिणाम से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर तथा परिणाम के समय जारी रोस्टर में बिना किसी सूचना के बहुत बदलाव किए गए है। विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर में बीआरपी के अलग- अलग विषयों में 11 आरक्षित पदों को घटाकर तथा सीआरपी में 9 आरक्षित (यानि कुल 20) पदों को घटाकर सामान्य श्रेणी में जोड़े गए है ये आरक्षित अभ्यर्थियों के अन्यायपूर्ण है। (उक्त आरक्षण रोस्टर की विस्तृत सारणी सहित बिंदुओं को pdf में संलग्न किया जा रहा है) 2..परिणाम में कई अभ्यर्थियों के नाम दोहराए गए हैं, जैसे Ruchi Chauhan का नाम BRP (SCIENCE) सूची में क्रम संख्या 14 और 15 दोनों पर है, जो त्रुटिपूर्ण है। 3..परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दो-दो उपश्रेणियों में दर्शाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एक ही उपश्रेणी का दावा किया जा सकता है। जैसे- क्र.सं. 572 – Sheetal Pundir (Handicapped व Freedom Fighter) क्र.सं. 577 – Beena Karki (Handicapped व Freedom Fighter) 4.चयन अंतिम सूची शीर्ष वरीयता गुणांक अनुसार आनी थी, लेकिन कई स्थानों पर क्रम असंगत व भ्रमित करने वाला है। उदाहरणतः —□Babita Rawat (क्रमांक 571, CRP–ST) का स्कोर 87.25 है अनुसूचित महिला की मैरिट यहीं रुकी है लेकिन आश्चर्य है कि Deepti Rana (क्रमांक 603, ST) का स्कोर 96.72 है, फिर भी उन्हें सबसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है। □Ankit Singh (क्रमांक 434, CRP–OBC) का स्कोर 94.87 है, जबकि Abhilash Singh Rawat (क्रमांक 595) और Saurabh Singh Ranghar (क्रमांक 598) के स्कोर क्रमशः 98.33 और 98.19 हैं, फिर भी उन्हें नीचे रखा गया है। 5.सीआरपी परिणाम क्रमांक 592 पर दर्शाए गए अभ्यर्थी Suresh Chandra Bijalwan (Ex-Serviceman, OBC) के 10वीं एवं 12वीं के प्राप्तांक में "0.00" अंकित हैं उनका प्राप्तांक 62.15 है यह भी एक प्रश्नचिह्न है क्या उक्त अभ्यर्थी को 10 वीं व 12 वीं में कोई प्राप्तांक नहीं	01. Not Considered. 02. Clarification issued. Please visit the website of ssa.uk.gov.in 03. The matter will be considred in waiting list. 04. The candidature of candidate is considered in a single Sub-Category. 05. Issue identified & revised list will be published on portal. 06. Not Considered.
25	kumaradityaksp94@gmail.com	ADITYA KUMAR	I have applied for the post of cluster resource person CRP through this portal but my name is not mentioned in final merit list	Not Considered.
26	shivanirodhiyal153@gmail.com	Shivani Rodhiyal	BRP (English) की जारी मेरिट सूची में Shivani Rodhiyal — क्रमांक 109 पर मेरा नाम दर्शाया गया है। मेरी जन्मतिथि 04-12-1998 (MM-DD-YYYY) है। मैंने इस पद हेतु आवेदन करते समय अनुसूचित जाति – महिला (SC – Woman) उपश्रेणी में आवेदन किया था, जिसकी पुष्टि Prayag Portal पर भरे गए आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। किन्तु प्रकाशित मेरिट सूची में मुझे केवल "Unreserved" उपश्रेणी में दर्शाया गया है, जबकि मेरी वास्तविक स्थिति SC – Woman है। यद्यपि वर्तमान मेरिट क्रम पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है, तथापि यदि प्रतीक्षा सूची (Waiting List) जारी होती है, तो मुझे महिला उपश्रेणी का वांछित वेटेज प्राप्त नहीं होगा, जिससे मुझे संभावित चयन अवसर से वंचित रहना पड़ सकता है। अतः निवेदन है कि मेरी उपश्रेणी को "SC – Woman" के रूप में संशोधित किया जाए, जिससे मुझे आगामी चयन प्रक्रिया में न्यायसंगत लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन है कि आवेदन संशोधन के समय मेरा कुल मेरिट स्कोर 84.72 अंक था, जबकि वर्तमान में प्रकाशित मेरिट सूची में 84.71 अंक प्रदर्शित किए गए हैं। कृपया मेरे वास्तविक स्कोर (84.72) को यथावत मानते हुए मुझे संशोधित सूची में उचित स्थान प्रदान करने की कृपा करें। (संलग्न स्कोर प्रति अवलोकनीय है) महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ से ही माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जनपदवार (District-wise) घोषित किया गया था, परंतु वर्तमान में राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी की गई है। इससे ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। अतः आपसे अनुरोध है कि चयन प्रक्रिया को जनपद स्तर पर संशोधित करने की कृपा करें, जिससे सभी क्षेत्रों को समान अवसर मिल सके।	Not Considered.

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
27	kandarirohit248@gmail.com	रोहित कंडारी	बीआरपी सीआरपी भर्ती का परिणाम 02 जुलाई 2025 को जारी किया हुआ था जिसमें बहुतायत में त्रुटियां पाया गई है जो निम्न है- 1.उक्त परिणाम से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर तथा परिणाम के समय जारी रोस्टर में बिना किसी सूचना के बहुत बदलाव किए गए है। विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर में बीआरपी के अलग- अलग विषयों में 11 आरक्षित पदों को घटाकर तथा सीआरपी में 9 आरक्षित (यानि कुल 20) पदों को घटाकर सामान्य श्रेणी में जोड़े गए है ये आरक्षित अभ्यर्थियों के अन्यायपूर्ण है। (उक्त आरक्षण रोस्टर की विस्तृत सारणी सहित बिंदुओं को pdf में संलग्न किया जा रहा है) 2..परिणाम में कई अभ्यर्थियों के नाम दोहराए गए हैं, जैसे Ruchi Chauhan का नाम BRP (SCIENCE) सूची में क्रम संख्या 14 और 15 दोनों पर है, जो त्रुटिपूर्ण है। 3..परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दो-दो उपश्रेणियों में दर्शाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एक ही उपश्रेणी का दावा किया जा सकता है। जैसे– क्र.सं. 572 – Sheetal Pundir (Handicapped व Freedom Fighter) क्र.सं. 577 – Beena Karki (Handicapped व Freedom Fighter) 4.चयन अंतिम सूची शीर्ष वरीयता गुणांक अनुसार आनी थी, लेकिन कई स्थानों पर क्रम असंगत व भ्रमित करने वाला है। उदाहरणतः —□Babita Rawat (क्रमांक 571, CRP–ST) का स्कोर 87.25 है अनुसूचित महिला की मैरिट यहीं रुकी है लेकिन आश्चर्य है कि Deepti Rana (क्रमांक 603, ST) का स्कोर 96.72 है, फिर भी उन्हें सबसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है। □Ankit Singh (क्रमांक 434, CRP–OBC) का स्कोर 94.87 है, जबकि Abhilash Singh Rawat (क्रमांक 595) और Saurabh Singh Ranghar (क्रमांक 598) के स्कोर क्रमशः 98.33 और 98.19 हैं, फिर भी उन्हें नीचे रखा गया है। 5.सीआरपी परिणाम क्रमांक 592 पर दर्शाए गए अभ्यर्थी Suresh Chandra Bijalwan (Ex-Serviceman, OBC) के 10वीं एवं 12वीं के गुणांक में "0.00" अंकित हैं उनका गुणांक 63.45 है यह भी एक प्रश्नचिह्न है क्या उक्त अभ्यर्थी को 10 वीं व 12 वीं में कोई गुणांक नहीं मिला। महोदय उक्त विभिन्न त्रुटियां और असंगतियां तथा अंतिम परिणाम के समय बिना नोटिस के आरक्षण बदलना एक स्पष्ट लापरवाही है, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है इन गलतियों के कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित हुए है अतः आपसे विनम्र निवेदन है उक्त त्रुटियों को सुधारकर तथा विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पुनः	01. Reservation provisions applied as per relivent Govt. orders. 02. The matter will be considred in waiting list. 03. The candidature of candidate is considered in a single Sub-Category. 04. Issue identified & revised list will be published on portal. 05. Not Considered.
28	abhi350rawat@gmail.com	अभिलाष सिंह रावत	सीआरपी की काउंसलिंग वाली मेरिट लिस्ट में रैंक 300 तक चयनित अभ्यर्थियों के बाद सीधे रैंक 332 को रखा गया है जबकी रैंक 304 पर मेरा चयन हुआ है परंतु मुझे सीरियल नंबर 595 पर रखा गया है। आपसे अनुरोध है इसे ठीक करें। क्योंकि इसी सूची के आधार पर हमको काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा एवं भविष्य के अन्य निर्णय भी इसी पर लिए जाएंगे। सर ये भी निवेदन है कि अगर नियुक्ति रैंक के आधार पर होती है तो हमारी रैंक 304 होने के बाद भी हमे सीरियल नंबर 595 होने की समस्या हो सकती है।	Issue identified & revised list will be published on portal.
29	rawatpriyanka1996@gmail.com	PRIYANKA RAWAT	I am writing this mail to inform that my name is not in the BRP and CRP list. I am attaching my unique jobseeker id and post. Please look into it.	Not Considered.
30	kartikpanwar201@gmail.com	Kartik Panwar	कंचन पंवार, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP) / संकुल रिसोर्स पर्सन (SRP) के पद हेतु Rojgar Prayag पोर्टल पर आवेदन करने वाला एक पात्र अभ्यर्थी हूँ। दिनांक 11 जुलाई 2025 को जारी की गई आरक्षण आधारित मेरिट सूची में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि उसमें राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को देय 10% क्षैतिज आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है, जबकि यह आरक्षण उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित विधेयक एवं उसके पश्चात जारी शासनादेशों (Government Orders) के माध्यम से पहले से ही लागू और प्रभावी है। यह आरक्षण एक वैधानिक प्रावधान है जिसे किसी भी राज्य स्तरीय भर्ती में लागू किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में इस वर्ग की अनदेखी करना गंभीर लापरवाही है तथा यह नीतिगत अन्याय की श्रेणी में आता है। **अतः मैं आपसे निम्नलिखित मांग करता हूं:** 1. राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों के लिए लागू 10% क्षैतिज आरक्षण को भर्ती प्रक्रिया में तत्काल शामिल किया जाए। 2. उक्त श्रेणी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को संशोधित मेरिट सूची में समुचित स्थान प्रदान किया जाए। आपसे निवेदन है कि मेरी यह आपत्ति 18 जुलाई 2025 की समय-सीमा से पूर्व स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही करें।	Reservation provisions has been applied as per relevent Government orders.

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
31	ranahimani045@gmail.com	himani rana	applied for the post of crp maths .my date of birth is 18 September 1996 .but my name was not in the list	Not Considered.
32	radhesingh19944@gmail.com	A Concerned Candidate	As per the official notification, candidates are required to have basic computer proficiency, including knowledge of MS Word, PowerPoint, Email, etc. However, the duration of the required computer certificate has not been clearly mentioned. This has led to confusion among many candidates as to whether a 6-month basic computer certificate (such as a Diploma in Computer Application, which includes all the mentioned topics) is acceptable, or if only a 1-year certificate is considered valid. I kindly request your clarification on this matter, as it is crucial for candidates preparing for document verification. Thank you for your time and consideration.	As per decision Computer Proficiency is desirable qualification.
33	eshashi074@gmail.com	upendar singh chauhan	hmara roll no 5371 hai jo humne crp ka from bra tha umri category obc hai lekin guranal dika rha hai jo glt hai sahi karne ki kirpa kere sir	Not Considered.
34	akshara12894@gmail.com	Radha Kumari	The issue pertains to the incorrect inclusion of my Class 10th marks. My marks were originally in the Cumulative Grade Point Average (CGPA) format and appear not to have been accurately converted to percentages as per CBSE norms. I kindly request that my CGPA marks be converted to a percentage using the standard conversion guidelines, and my merit score be updated accordingly.	Refered to Rojgar Prayag Portal.
35	nikitajuyal9@gmail.com	Nikita Juyal	sme diye gye advertisement ke anusaar BRP English me ek DFF (freedom fighter) ki post khaali h par merit list me kisi ko ye post nai mili h na ye dikhai gyi h Aur Mera DFf ka kota h aur main english ki he student hu mera bss crp me hua h Aur mujhe brp (english) ka dff wali seat b milni chaiye thi . Kyuki pehle ye seat vigyapan me dikhai gyi thi aur ab merit me ye seat nai dikhai jaa rahi h. Merit list me kisi ko b DFF ki seat nai mili h brp (english) me Aur jb vigyapan aaya tha tb brp (english) me dff ki 01 seat khaali dikhayi gyi thi.	Reservation provisions has been applied as per relevent Government orders.
36	nidspey84@gmail.com	निधि उप्रेती	1.उक्त परिणाम से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर तथा परिणाम के समय जारी रोस्टर में बिना किसी सूचना के बहुत बदलाव किए गए है। विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर में बीआरपी के अलग- अलग विषयों में 11 आरक्षित पदों को घटाकर तथा सीआरपी में 9 आरक्षित (यानि कुल 20) पदों को घटाकर सामान्य श्रेणी में जोड़े गए है ये आरक्षित अभ्यर्थियों के अन्यायपूर्ण है। (उक्त आरक्षण रोस्टर की विस्तृत सारणी सहित बिंदुओं को pdf में संलग्न किया जा रहा है) 2..परिणाम में कई अभ्यर्थियों के नाम दोहराए गए है, जैसे Ruchi Chauhan का नाम BRP (SCIENCE) सूची में क्रम संख्या 14 और 15 दोनों पर है, जो त्रुटिपूर्ण है। 3..परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दो-दो उपश्रेणियों में दर्शाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एक ही उपश्रेणी का दावा किया जा सकता है। जैसे- क्र.सं. 572 – Sheetal Pundir (Handicapped व Freedom Fighter) क्र.सं. 577 – Beena Karki (Handicapped व Freedom Fighter) 4.चयन अंतिम सूची शीर्ष वरीयता गुणांक अनुसार आनी थी, लेकिन कई स्थानों पर क्रम असंगत व भ्रमित करने वाला है। उदाहरणतः —□Babita Rawat (क्रमांक 571, CRP–ST) का स्कोर 87.25 है अनुसूचित महिला की मैरिट यहीं रुकी है लेकिन आश्चर्य है कि Deepti Rana (क्रमांक 603, ST) का स्कोर 96.72 है, फिर भी उन्हें सबसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है। □Ankit Singh (क्रमांक 434, CRP–OBC) का स्कोर 94.87 है, जबकि Abhilash Singh Rawat (क्रमांक 595) और Saurabh Singh Ranghar (क्रमांक 598) के स्कोर क्रमशः 98.33 और 98.19 हैं, फिर भी उन्हें नीचे रखा गया है। 5.सीआरपी परिणाम क्रमांक 592 पर दर्शाए गए अभ्यर्थी Suresh Chandra Bijalwan (Ex-Serviceman, OBC) के 10वीं एवं 12वीं के गुणांक में "0.00" अंकित हैं उनका गुणांक 63.45 है यह भी एक प्रश्नचिह्न है क्या उक्त अभ्यर्थी को 10 वीं व 12 वीं में कोई गुणांक नहीं मिला। महोदय उक्त विभिन्न त्रुटियां और असंगतियां तथा अंतिम परिणाम के समय बिना नोटिस के आरक्षण बदलना एक स्पष्ट लापरवाही है, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है इन गलतियों के कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित हुए है अतः आपसे विनम्र निवेदन है उक्त त्रुटियों को सुधारकर तथा विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पुनः संशोधित परिणाम जारी किया जाए तथा साथ में दोगुना अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी निकाली जाए।	01. Not Considered. 02. Clarification issued. Please visit the website of ssa.uk.gov.in 03. Reservation provisions has been applied as per relevent Government orders. 04. Issue identify.The candidature of candidate is considered in a single Sub-Category. 05. Issue identified & revised list will be published on portal. 06. Not Considered.

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
37	pankaj.dungriyal96@gmail.com	पंकज सिंह	बीआरपी सीआरपी भर्ती का परिणाम 02 जुलाई 2025 को जारी जारी हुआ था जिसमें बहुतायत में त्रुटियां पायी गई है जो निम्न है- 1.उक्त परिणाम में यह देखा गया है कि वर्षवार परीक्षा वाले पुराने बच्चों का न के बराबर चयन हुआ है वहीं जबकी सेमेस्टर वाले बच्चों का बहुतायत में चयन हुआ है वर्षवार परीक्षा पहले के बच्चों का प्रथम स्थान प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल होता था अब के बच्चों को हर विषय में प्रेक्टिकल जोडकर अंक बढाने में मदद की जाती है इस परिणाम में पुराने वर्षवार वाले बच्चों को कम से कम 10 अंक तक का लाभ देकर सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों और वर्षवार वाले बच्चों का समान रूप से चयन किया जाये 2. मैरिट जनपदवार या ब्लॉक वाइज बनायी जाये जिससे ग्रामीण बच्चों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में फायदा हो 3.उक्त परिणाम से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर तथा परिणाम के समय जारी रोस्टर में बिना किसी सूचना के बहुत बदलाव किए गए है। विज्ञप्ति के समय जारी आरक्षण रोस्टर में बीआरपी के अलग- अलग विषयों में 11 आरक्षित पदों को घटाकर तथा सीआरपी में 9 आरक्षित (यानि कुल 20) पदों को घटाकर सामान्य श्रेणी में जोड़े गए है ये आरक्षित अभ्यर्थियों के अन्यायपूर्ण है। (उक्त आरक्षण रोस्टर की विस्तृत सारणी सहित बिंदुओं को pdf में संलग्न किया जा रहा है) 4.परिणाम में कई अभ्यर्थियों के नाम दोहराए गए है, जैसे Ruchi Chauhan का नाम BRP (SCIENCE) सूची में क्रम संख्या 14 और 15 दोनों पर है, जो त्रुटिपूर्ण है। 5..परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दो-दो उपश्रेणियों में दर्शाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एक ही उपश्रेणी का दावा किया जा सकता है। जैसे- क्र.सं. 572 – Sheetal Pundir (Handicapped व Freedom Fighter) क्र.सं. 577 – Beena Karki (Handicapped व Freedom Fighter) 6.चयन अंतिम सूची शीर्ष वरीयता गुणांक अनुसार आनी थी, लेकिन कई स्थानों पर क्रम असंगत व भ्रमित करने वाला है। उदाहरणतः —□Babita Rawat (क्रमांक 571, CRP–ST) का स्कोर 87.25 है अनुसूचित महिला की मैरिट यहीं रुकी है लेकिन आश्चर्य है कि Deepti Rana (क्रमांक 603, ST) का स्कोर 96.72 है, फिर भी उन्हें सबसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है। □Ankit Singh (क्रमांक 434, CRP–OBC) का स्कोर 94.87 है, जबकि Abhilash Singh Rawat (क्रमांक 595) और Saurabh Singh Ranghar (क्रमांक 598) के स्कोर क्रमशः 98.33 और 98.19 हैं, फिर भी उन्हें नीचे रखा गया है। 7.सीआरपी परिणाम क्रमांक 592 पर दर्शाए गए अभ्यर्थी Suresh Chandra Bijalwan (Ex-Serviceman, OBC) के 10वीं एवं 12वीं के गुणांक में "0.00" अंकित हैं उनका गुणांक 63.45 है यह भी एक प्रश्नचिह्न है क्या उक्त अभ्यर्थी को 10 वीं व 12 वीं में कोई गुणांक नहीं मिला। महोदय उक्त विभिन्न त्रुटियां और असंगतियां तथा अंतिम परिणाम के समय बिना नोटिस के आरक्षण बदलना एक स्पष्ट लापरवाही है, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है इन गलतियों के कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से	01. Not Considered. 02. Clarification issued. Please visit the website of ssa.uk.gov.in 03. The matter will be considred in waiting list. 04. The matter will be considred in waiting list. 05. The candidature of candidate is considered in a single Sub-Category. 06. Issue identified & revised list will be published on portal. 07.Not Considered.
38	pankaj.dungriyal96@gmail.com	Pankaj Singh	जिओ के माध्यम से और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमें अवगत कराया गया था कि मेरिट लिस्ट जनपदवार बनेगी लेकिन आपने मेरिट लिस्ट राज्यस्तर पर बनायी है जिससे पहाड़ी स्कूलों के अभ्यर्थी मेरिट में आने से वंचित रह गए। कृपया मेरिट लिस्ट जनपद वार बनाये जाने की कृपा कीजिएगा	Not Considered.
39	rana.nitti92@gmail.com	nitin rana	1- माननीय अधिकारी महोदय जी आपको यह विदित करवाना है कि बीआरपी सीआरपी भर्ती के पूर्ण रिजल्ट को देखने के पश्चात यह समझ आया कि इस भर्ती प्रक्रिया में नये बच्चों का जिनका सेमेस्टर सिस्टम था उन बच्चों का अधिकांश चयन हुआ है क्योंकि सेमेस्टर में बच्चों को अच्छे अंक दिए जाते हैं यह सर्वविदित है इस भर्ती प्रक्रिया में पुराने बच्चे जिनका कि वर्षवार परीक्षा होती थी व पहले के समय में प्रथम स्थान ही प्राप्त करना बहुत कठिन होता था उन बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है उस समय के अंकों में और वर्तमान समय के अंकों में जमीन आसमान का अंतर होता है वर्तमान में कोई बच्चा फेल नहीं होता प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल रख दिया गया है जिससे बच्चे अच्छे अंक ले आता है विभाग को वर्षवार वाले बच्चों को और सेमेस्टर वाले बच्चों को समान करने के लिए वर्षवार वाले पुराने बच्चों को कम से कम 10 नम्बर तक लाभ देना चाहिए जिससे वह सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें वरना वर्षवार वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और नये बच्चों के पास अभी मौका है अन्य भर्तियों में प्रतिभाग करने का लेकिन पुराने बच्चों की अन्य भर्तियों में प्रतिभाग करने की उमर निकल चुकी है कृपया इस पर विचार करें 2- मैरिट जनपद स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर निकालने का प्रावधान होना चाहिए था	Not Considered.
40	sagarchamlegi30@gmail.com	Sa Gar Xingh	I have filled up the form and my name is not there Job seeker id - 163132068036	Not Considered.
41	nikitajuyal9@gmail.com	Nikita Juyal	Isme diye gye advertisement ke anusaar BRP English me ek DFF (freedom fighter) ki post khaali h par merit list me kisi ko ye post nai mili h na ye dikhai gyi h Aur Mera DFf ka kota h aur main english ki he student hu mera bss crp me hua h Aur mujhe brp (english) ka dff wali seat b milni chaiye thi . Kyuki pehle ye seat vigyapan me dikhai gyi thi aur ab merit me ye seat nai dikhai jaa rahi h. Merit list me kisi ko b DFF ki seat nai mili h brp (english) me Aur jb vigyapan aaya tha tb brp (english) me dff ki 01 seat khaali dikhayi gyi thi.	Reservation provisions has been applied as per relevent Government orders.

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

SN	E-Mail Id	Name	Representation	Remark
42	devrajpratap10@gmail.com	दिव्यांश प्रताप सिंह	आरपी पद के लिए फॉर्म भरा था जिसमें मेरे वास्तविक गुणांक 91.62☑ है परंतु विभाग द्वारा जारी करी गई परिणाम सूची में मेरा गुणांक 90.42 पाया गया। जिस वजह से मेरा स्थान 1176 से नीचे जाकर 1462 हो गया विभाग द्वारा इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से मेरा चयन पहली मेरिट लिस्ट में नहीं✕ हो पाया। सम्मानित अधिकारी को एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं कि ,विभागीय सॉफ्टवेयर में जब प्रार्थी ने अपने obtain CGPA (7.30) डाले परंतु सॉफ्टवेयर में ok करने के पश्चात सॉफ्टवेयर ने उसे पूर्णांक पर यानी (7.0) पर बदल दिया। जिस वजह से प्रार्थी के नंबर कम हुए और प्रार्थी पहली मेरिट लिस्ट में नहीं ✕ आ पाया प्रार्थी के अंक तालिकाओं में cgpa एवं points को साथ सम्मिलित करने का प्रावधान है।	Refered to Rojgar Prayag Portal.
43	tiwarymanoj227@gmail.com	Manoj tiwary	Sir maine rojgarpryag portal par CRC ke liye aavedan kiya tha or maine apna form completely bhraa tha lekin mera naam kisi bhi list mai nhi hai.. All candidate wali list mai nhi nhi hai... Mera rojgar pryagportal reg. No. UA19120212180 hai	Not Considered.
44	ajaypargaienntl@gmail.com		जिन छात्रो ने N.I.O.S Board से कक्षा 12 उत्तीर्ण कि है बी0आर0पी0, सी0आर0पी0 भर्ती फार्म भरते समय मुख्य विषयो के प्रयाग पोर्टल पर उपलब्धता नही दिखायी गयी जिस कारणवश आवेदन फार्म में मुख्य विषयो को नही भरा जा सका	Refered to Rojgar Prayag Portal.
45	kamleshsharmafom@gmail.com		Reservation Related.	Reservation provisions has been applied as per relevent Government orders.
46	mnansari0001@gmail.com		Portal Related.	Not Considered.
47	bijaystudio4@gmail.com	Vijay Kumar	Application related.	Not Considered.
48	sanjaypalmehra1990@gmail.com		Reservation Related.	Not Considered.
49	shankaranand95@gmail.com	shankar anand	Portal Related.	Refered to Rojgar Prayag Portal.
50	monikabhandari96@gmail.com		Document Updation.	Not Considered.
51	dhondiyaankit3@gmail.com		BRP Science & CRC List related	Not Considered.
52	joshibabitajoshi999@gmail.com		CRP List related.	Not Considered.
53	ajaypargaienntl@gmail.com		Portal Related.	Refered to Rojgar Prayag Portal.

कुलदीप गैरोला
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्याः /XXX(2)/18/30(58)/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2018

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में पदों में आरक्षण की गणना करते समय राउण्डिंग ऑफ के सिद्धान्त के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18.07.2001 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिशत के आधार पर पदों के आंगणन में फ्रैक्शन को पूर्णांक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में समय–समय पर स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

3. उक्त के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय, आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक, राज्याधीन सेवाओं में रिक्तियों को आगणित करते समय फ्रैक्शन 1.5 से कम होने पर फ्रैक्शन को छोड़ते हुए 01 रिक्ति आगणित करने तथा रिक्तियों का फ्रैक्शन 1.5 से 1.99 तक होने पर फ्रैक्शन को सम्मिलित करते हुए 2 रिक्तियां आगणित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। किसी भी दशा में उक्तानुसार फ्रैक्शन की गणना संबंधित श्रेणियों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 145 / XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

178

संख्याः 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001

प्रेशक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 मई, 2020

विशय :राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 276/XXX(2)/2019-53(1)/2001 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर नीति लागू की गई थी। उक्त शासनादेश को अधिकमित करते हुए शासनादेश संख्या 97/XXX(2)/2020-53(1)/2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर कमांक के अनुसार (अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में संलग्न परिशिष्ट–1 (उर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट–3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट–1 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर कमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।

2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट–2 के अनुसार पृथक–पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी;

   परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधन नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही लागू होंगे।

3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम

Scanned with CamScanner

सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

4. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जायेगी, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा वल्कि रोस्टर कमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार पद आधारित आरक्षण की गणना की जायेगी।

5. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर कमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

6. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, ऐसे चयनों में दिव्यांगजन श्रेणी के रोस्टर कमांक को बैकलॉग हेतु रिक्त रखा जायेगा तथा शेष श्रेणियों में सम्बन्धित वर्ग के ही प्रवीणता कम से सामान्य चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।

7. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/xvii–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय–समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं दिशा–निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्याधीन सेवाओं में लागू किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवा संवर्गों में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।

9. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या–145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिकमित समझा जाय।

10. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु रोस्टर प्रणाली को ऑन–लाइन किये जाने का प्रकरण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के स्तर पर गतिमान है। अतः समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष अपने–अपने नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉक

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या: 124 /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनुसूचित जाति	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	अनुसूचित जाति	1.14	0.84	0.60	0.24
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.33	0.98	0.70	0.28
8	अनारक्षित	1.52	1.12	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.90	1.40	1.00	0.40
11	अनुसूचित जाति	2.09	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.66	1.96	1.40	0.56
15	अनारक्षित	2.85	2.10	1.50	0.60
16	अनुसूचित जाति	3.04	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अन्य पिछड़ा वर्ग	3.61	2.66	1.90	0.76
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3.80	2.80	2.00	0.80
21	अनुसूचित जाति	3.99	2.94	2.10	0.84
22	अनारक्षित	4.18	3.08	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनुसूचित जनजाति	4.56	3.36	2.40	0.96
25	अनारक्षित	4.75	3.50	2.50	1.00
26	अनुसूचित जाति	4.94	3.64	2.60	1.04
27	अनारक्षित	5.13	3.78	2.70	1.08
28	अन्य पिछड़ा वर्ग	5.32	3.92	2.80	1.12
29	अनारक्षित	5.51	4.06	2.90	1.16
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5.70	4.20	3.00	1.20
31	अनुसूचित जाति	5.89	4.34	3.10	1.24
32	अनारक्षित	6.08	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

Scanned with CamScanner

35	अन्य पिछड़ा वर्ग	6.65	4.90	3.50	1.40
36	अनुसूचित जाति	6.84	5.04	3.60	1.44
37	अनारक्षित	7.03	5.18	3.70	1.48
38	अनारक्षित	7.22	5.32	3.80	1.52
39	अनारक्षित	7.41	5.46	3.90	1.56
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7.60	5.60	4.00	1.60
41	अनुसूचित जाति	7.79	5.74	4.10	1.64
42	अन्य पिछड़ा वर्ग	7.98	5.88	4.20	1.68
43	अनारक्षित	8.17	6.02	4.30	1.72
44	अनारक्षित	8.36	6.16	4.40	1.76
45	अनारक्षित	8.55	6.30	4.50	1.80
46	अनुसूचित जाति	8.74	6.44	4.60	1.84
47	अनारक्षित	8.93	6.58	4.70	1.88
48	अनुसूचित जन जाति	9.12	6.72	4.80	1.92
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	9.31	6.86	4.90	1.96
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9.50	7.00	5.00	2.00
51	अनुसूचित जाति	9.69	7.14	5.10	2.04
52	अनारक्षित	9.88	7.28	5.20	2.08
53	अनारक्षित	10.07	7.42	5.30	2.12
54	अन्य पिछड़ा वर्ग	10.26	7.56	5.40	2.16
55	अनारक्षित	10.45	7.70	5.50	2.20
56	अनुसूचित जाति	10.64	7.84	5.60	2.24
57	अनारक्षित	10.83	7.98	5.70	2.28
58	अनारक्षित	11.02	8.12	5.80	2.32
59	अनारक्षित	11.21	8.26	5.90	2.36
60	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11.40	8.40	6.00	2.40
61	अनुसूचित जाति	11.59	8.54	6.10	2.44
62	अनारक्षित	11.78	8.68	6.20	2.48
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	11.97	8.82	6.30	2.52
64	अनारक्षित	12.16	8.96	6.40	2.56
65	अनारक्षित	12.35	9.10	6.50	2.60
66	अनुसूचित जाति	12.54	9.24	6.60	2.64
67	अनारक्षित	12.73	9.38	6.70	2.68
68	अनारक्षित	12.92	9.52	6.80	2.72
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	13.11	9.66	6.90	2.76
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13.30	9.80	7.00	2.80
71	अनुसूचित जाति	13.49	9.94	7.10	2.84
72	अनुसूचित जनजाति	13.68	10.08	7.20	2.88
73	अनारक्षित	13.87	10.22	7.30	2.92
74	अनारक्षित	14.06	10.36	7.40	2.96
75	अनारक्षित	14.25	10.50	7.50	3.00
76	अनुसूचित जाति	14.44	10.64	7.60	3.04
77	अन्य पिछड़ा वर्ग	14.63	10.78	7.70	3.08
78	अनारक्षित	14.82	10.92	7.80	3.12

Scanned with CamScanner

79	अनारक्षित	15.01	11.06	7.90	3.16
80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.20	11.20	8.00	3.20
81	अनुसूचित जाति	15.39	11.34	8.10	3.24
82	अनारक्षित	15.58	11.48	8.20	3.28
83	अनारक्षित	15.77	11.62	8.30	3.32
84	अन्य पिछड़ा वर्ग	15,96	11.76	8.40	3.36
85	अनारक्षित	16.15	11.90	8.50	3.40
86	अनुसूचित जाति	16.34	12.04	8.60	3.44
87	अनारक्षित	16.53	12.18	8.70	3.48
88	अनारक्षित	16.72	12.32	8.80	3.52
89	अनारक्षित	16.91	12.46	8.90	3.56
90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.10	12.60	9.00	3.60
91	अन्य पिछड़ा वर्ग	17.29	12.74	9.10	3.64
92	अनारक्षित	17.48	12.88	9.20	3.68
93	अनुसूचित जाति	17.67	13.02	9.30	3.72
94	अनारक्षित	17.86	13.16	9.40	3.76
95	अनारक्षित	18.05	13.30	9.50	3.80
96	अनुसूचित जनजाति	18.24	13.44	9.60	3.84
97	अनारक्षित	18.43	13.58	9.70	3.88
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.62	13.72	9.80	3.92
99	अनारक्षित	18.81	13.86	9.90	3.96
100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19.00	14.00	10.00	4.00

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट–2

शासनादेश संख्याः 124 /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की गणना।

पद	पद की श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%
1	अनारक्षित	0.30	0.05	0.04	0.02	0.05
2	अनारक्षित	0.60	0.10	0.08	0.04	0.10
3	अनारक्षित	0.90	0.15	0.12	0.06	0.15
4	उत्तराखण्ड महिला	**1.20**	0.20	0.16	0.08	0.20
5	अनारक्षित	1.50	0.25	0.20	0.10	0.25
6	अनारक्षित	1.80	0.30	0.24	0.12	0.30
7	उत्तराखण्ड महिला	**2.10**	0.35	0.28	0.14	0.35
8	अनारक्षित	2.40	0.40	0.32	0.16	0.40
9	अनारक्षित	2.70	0.45	0.36	0.18	0.45
10	उत्तराखण्ड महिला	3.00	0.50	0.40	0.20	0.50
11	अनारक्षित	3.30	0.55	0.44	0.22	0.55
12	अनारक्षित	3.60	0.60	0.48	0.24	0.60
13	अनारक्षित	3.90	0.65	0.52	0.26	0.65
14	उत्तराखण्ड महिला	**4.20**	0.70	0.56	0.28	0.70
15	अनारक्षित	4.50	0.75	0.60	0.30	0.75
16	अनारक्षित	4.80	0.80	0.64	0.32	0.80
17	उत्तराखण्ड महिला	**5.10**	0.85	0.68	0.34	0.85
18	अनारक्षित	5.40	0.90	0.72	0.36	0.90
19	अनारक्षित	5.70	0.95	0.76	0.38	0.95
20	उत्तराखण्ड महिला	**6.00**	1.00	0.80	0.40	1.00
21	भूतपूर्व सैनिक	6.30	**1.05**	0.84	0.42	1.05
22	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	6.60	1.10	0.88	0.44	**1.10**
23	अनारक्षित	6.90	1.15	0.92	0.46	1.15
24	उत्तराखण्ड महिला	**7.20**	1.20	0.96	0.48	1.20
25	दिव्यांगजन	7.50	1.25	**1.00**	0.50	1.25
26	अनारक्षित	7.80	1.30	1.04	0.52	1.30
27	उत्तराखण्ड महिला	**8.10**	1.35	1.08	0.54	1.35
28	अनारक्षित	8.40	1.40	1.12	0.56	1.40
29	अनारक्षित	8.70	1.45	1.16	0.58	1.45
30	उत्तराखण्ड महिला	**9.00**	1.50	1.20	0.60	1.50
31	अनारक्षित	9.30	1.55	1.24	0.62	1.55
32	अनारक्षित	9.60	1.60	1.28	0.64	1.60
33	अनारक्षित	9.90	1.65	1.32	0.66	1.65
34	उत्तराखण्ड महिला	10.20	1.70	1.36	0.68	1.70

35	अनारक्षित	10.50	1.75	1.40	0.70	1.75
36	अनारक्षित	10.80	1.80	1.44	0.72	1.80
37	**उत्तराखण्ड महिला**	**11.10**	1.85	1.48	0.74	1.85
38	अनारक्षित	11.40	1.90	1.52	0.76	1.90
39	**भूतपूर्व सैनिक**	11.70	**1.95**	1.56	0.78	1.95
40	**उत्तराखण्ड महिला**	**12.00**	2.00	1.60	0.80	2.00
41	**उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे***	12.30	2.05	1.64	0.82	**2.05**
42	अनारक्षित	12.60	2.10	1.68	0.84	2.10
43	अनारक्षित	12.90	2.15	1.72	0.86	2.15
44	**उत्तराखण्ड महिला**	**13.20**	2.20	1.76	0.88	2.20
45	अनारक्षित	13.50	2.25	1.80	0.90	2.25
46	अनारक्षित	13.80	2.30	1.84	0.92	2.30
47	**उत्तराखण्ड महिला**	**14.10**	2.35	1.88	0.94	2.35
48	अनारक्षित	14.40	2.40	1.92	0.96	2.40
49	**दिव्यांगजन**	14.70	2.45	**1.96**	0.98	2.45
50	**उत्तराखण्ड महिला**	**15.00**	2.50	2.00	1.00	2.50
51	**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित**	15.30	2.55	2.04	**1.02**	2.55
52	अनारक्षित	15.60	2.60	2.08	1.04	2.60
53	अनारक्षित	15.90	2.65	2.12	1.06	2.65
54	**उत्तराखण्ड महिला**	**16.20**	2.70	2.16	1.08	2.70
55	अनारक्षित	16.50	2.75	2.20	1.10	2.75
56	अनारक्षित	16.80	2.80	2.24	1.12	2.80
57	**उत्तराखण्ड महिला**	**17.10**	2.85	2.28	1.14	2.85
58	अनारक्षित	17.40	2.90	2.32	1.16	2.90
59	अनारक्षित	17.70	2.95	2.36	1.18	2.95
60	**उत्तराखण्ड महिला**	**18.00**	3.00	2.40	1.20	3.00
61	**भूतपूर्व सैनिक**	18.30	**3.05**	2.44	1.22	3.05
62	**उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे***	18.60	3.10	2.48	1.24	**3.10**
63	अनारक्षित	18.90	3.15	2.52	1.26	3.15
64	**उत्तराखण्ड महिला**	**19.20**	3.20	2.56	1.28	3.20
65	अनारक्षित	19.50	3.25	2.60	1.30	3.25
66	अनारक्षित	19.80	3.30	2.64	1.32	3.30
67	**उत्तराखण्ड महिला**	**20.10**	3.35	2.68	1.34	3.35
68	अनारक्षित	20.40	3.40	2.72	1.36	3.40
69	अनारक्षित	20.70	3.45	2.76	1.38	3.45
70	**उत्तराखण्ड महिला**	**21.00**	3.50	2.80	1.40	3.50
71	अनारक्षित	21.30	3.55	2.84	1.42	3.55
72	अनारक्षित	21.60	3.60	2.88	1.44	3.60
73	अनारक्षित	21.90	3.65	2.92	1.46	3.65
74	**उत्तराखण्ड महिला**	**22.20**	3.70	2.96	1.48	3.70
75	**दिव्यांगजन**	22.50	3.75	**3.00**	1.50	3.75
76	अनारक्षित	22.80	3.80	3.04	1.52	3.80
77	**उत्तराखण्ड महिला**	**23.10**	3.85	3.08	1.54	3.85
78	अनारक्षित	23.40	3.90	3.12	1.56	3.90

Scanned with CamScanner

79	भूतपूर्व सैनिक	23.70	3.95	3.16	1.58	3.95
80	उत्तराखण्ड महिला	24.00	4.00	3.20	1.60	4.00
81	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	24.30	4.05	3.24	1.62	4.05
82	अनारक्षित	24.60	4.10	3.28	1.64	4.10
83	अनारक्षित	24.90	4.15	3.32	1.66	4.15
84	उत्तराखण्ड महिला	25.20	4.20	3.36	1.68	4.20
85	अनारक्षित	25.50	4.25	3.40	1.70	4.25
86	अनारक्षित	25.80	4.30	3.44	1.72	4.30
87	उत्तराखण्ड महिला	26.10	4.35	3.48	1.74	4.35
88	अनारक्षित	26.40	4.40	3.52	1.76	4.40
89	अनारक्षित	26.70	4.45	3.56	1.78	4.45
90	उत्तराखण्ड महिला	27.00	4.50	3.60	1.80	4.50
91	अनारक्षित	27.30	4.55	3.64	1.82	4.55
92	अनारक्षित	27.60	4.60	3.68	1.84	4.60
93	अनारक्षित	27.90	4.65	3.72	1.86	4.65
94	उत्तराखण्ड महिला	28.20	4.70	3.76	1.88	4.70
95	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	28.50	4.75	3.80	1.90	4.75
96	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	28.80	4.80	3.84	1.92	4.80
97	उत्तराखण्ड महिला	29.10	4.85	3.88	1.94	4.85
98	दिव्यांगजन	29.40	4.90	3.92	1.96	4.90
99	भूतपूर्व सैनिक	29.70	4.95	3.96	1.98	4.95
100	उत्तराखण्ड महिला	30.00	5.00	4.00	2.00	5.00

* उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

शासनादेश संख्याः 1214 XXX(2)2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 का संलग्नक।

परिशिष्ट–3

मॉडल रोस्टर

	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th	21st	22nd	23rd	24th
[illegible]	UR	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST
R	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST	
R	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST		
R	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST			
R	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST				
C	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST					
BC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST						
R	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST							
R	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST								
WS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST									
C	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST										
R	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST											
R	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST												
BC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST													
R	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST														
C	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST															
R	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																
R	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																	
BC	EWS	SC	UR	UR	ST																		
WS	SC	UR	UR	ST																			
SC	UR	UR	ST																				
UR	UR	ST																					
UR	ST																						
ST																							

411/2023

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
देहरादून/नैनीताल।

4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

5. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल 2023

विषयः स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु 02 प्रतिशत एवं पूर्व सैनिकों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण अनुमन्य है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(3) में दिये गये प्राविधान तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में न्यून भ्रांति हो रही है।

2. इस सम्बन्ध में विषयगत विधिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(3) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों हेतु सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है तथा आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत कोटे में रखा जायेगा और यदि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार, यदि वह अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत चयनित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।

3. उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997} (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(5) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है, तो उसे सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।

4. पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग

के शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या 277/XXX(2)/2021-30(21)2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा निम्नवत् दिशा–निर्देश भी निर्गत किये गये हैं :–

(a). Once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.

(b). The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt, in Groups C and D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. Jobs.

(c). If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for any subsequent employment. However, to avail of this benefit, an ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self-declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to the ex-serviceman.

5. अतः अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन अथवा चयन उपरान्त नियुक्ति प्रदान करने के अवसर पर पूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 13-04-2023 13:10:34

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग,
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

13.04.23

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
   देहरादून/नैनीताल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषयः दिव्यांगजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगजनों हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण अनुमन्य है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के चयन में दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कतिपय कठिनाईयां प्रतीत हो रही हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्तजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 11(4) के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को एक पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जायेगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार, यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी में रखा जायेगा।

3. दिव्यांगजन के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त

Generated from eOffice by Khilanand Khanduri, RO-KHILANAND, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 14/10/2022 03:31 PM

श्रेणियों हेतु निर्धारित क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से बिना भरे रह जाती है, तो उसे सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा आगामी भर्ती के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत किया जायेगा। यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नही होता है, तो पहले यह रिक्ति पांच प्रवर्गों में से अदला–बदली द्वारा भरी जा सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा।

परन्तु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला–बदली की जा सकेगी।

4. दिव्यांगजन श्रेणी के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण दिव्यांगजन हेतु उपयुक्त चिह्नित पदों पर ही अनुमन्य होगा। यदि कोई पद दिव्यांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिह्नित किया गया हो, तो उस पद में आरक्षण उस दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में चार प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके लिए वह चिह्नित किया गया हो। इसी तरह किसी पद के दिव्यांगता की दो या दो से अधिक श्रेणियों के लिए चिह्नित किये गये होने की स्थिति में जहा तक सम्भव हो, आरक्षण दिव्यांगता की उन दोनों या दो से अधिक श्रेणियों (जैसी स्थिति हो) के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को यथासंभव समान प्रतिनिधित्व मिले।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Shailesh Bagauli
(शैलेश बगौली)
Date: 14-10-2022 15:04:06
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Lalit Mohan Rayal
(ललित मोहन रयाल)
Date: 14-10-2022 15:07:58
अपर सचिव।

Generated from eOffice by Khilanand Khanduri, RO-KHILANAND, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 14/10/2022 03:31 PM

संख्या: 325/XXX(2)/30(12)/2020

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव
(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

3 सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा
आयोग, हरिद्वार।

4 सचिव,
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन
आयोग,
देहरादून।

5 सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन
बोर्ड, देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न बैठक में आयोगों द्वारा अवगत कराया गया कि विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु प्रेषित अधियाचनों में अनाथ बच्चों को "उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/ अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019" के अन्तर्गत 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत समस्त राज्याधीन सेवाओं में अनाथ बच्चों को 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्याः 11 /XXX(2)/2022-30(2)2019

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग।
5. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 16 फरवरी, 2022

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता–माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को सीधी भर्ती में अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता–माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि वर्तमान में अनाथ बच्चों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभागों द्वारा कतिपय कठिनाईयां महसूस की जा रही हैं।

2. उपरोक्त नियमावली में यह स्पष्ट है कि उक्त क्षैतिज आरक्षण राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन समस्त राजकीय/अशासकीय सेवाओं में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता–माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) के सम्बन्ध में आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तथा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगा।

3. सामान्यतः अनाथ बच्चों की जाति का पता नहीं चलता है, इसीलिए नियमावली के नियम 2 के प्रथम परन्तुक में ऐसे अनाथ बच्चों हेतु अनारक्षित श्रेणी का प्राविधान किया गया है, परन्तु ऐसी भी स्थितियां हैं, जहां राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों की जाति का पता होता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ जिस श्रेणी का होगा उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जा सकेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

संख्या 426 / XXX(2) / 2012 3(2)/2000

प्रेषक,

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 25 मई, 2012

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कमशः सीधी भर्ती में 19%, 04% एवं 14% आरक्षण अनुमन्य है।

2– वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययिता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने के स्पष्ट नियम विद्यमान न होने के कारण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं।

3– अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढाँचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक / सेवाओं की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि विभागीय ढाँचे में स्वीकृत संवर्ग / पद "मृत संवर्ग" घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्ध है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों / सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा ऐसे सेवायोजन में भी कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त के निमित्त प्रक्रिया यह अपनायी जायेगी कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था को अधियाचन प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष आरक्षण की विद्यमान स्थिति का ऑकलन करते हुए आवश्यक कार्मिकों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की संख्या भी आकलित की जायेगी और तदनुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मॉग/अधियाचन प्रेषित किया जायेगा, जिसके कम में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी।

5– अन्य प्रकरणों में जहॉ विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवस्था है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु "उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008" के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6– कृपया आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया),
प्रमुख सचिव।

संख्या 426 (1)/XXX(2)/2012 3(2)2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।